न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 62/2025 तारीख रजू:— 15.04.2025

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S

1. कैलाशी पुत्र छोटू जाति जाटव, निवासी जमालपुर, तहसील हिण्डौन जिला करौली, राजस्थान। ——————————————————वादी

बनाम

1. परसादी पुत्र चिरमोली समस्त जाति जाटव, निवासी जमालपुर
2. अमरसिंह पुत्र मांगी
3. राजकुमार पुत्र मांगी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान
4. दिनेश पुत्र मांगी,
5. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :— 1. श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता एडवोकेट वादी

निर्णय

दिनांक :—15.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत भूमि विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि वादी व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जेकाश्त व खातेदारी की आराजी हाल खसरा नम्बर 931 रकबा 21 ऐयर, वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण ने मौके पर बाहमी बँटवारा कर मुताबिक बाहमी बँटवारा काश्त कर उपयोग—उपभोग करते चले आ रहे हैं लेकिन उक्त भूमि का विधिवत् बँटवारा नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आये दिन वाद—विवाद होते रहते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 931 के मौके पर 931/1, 931/2 खसरा नम्बर बने हुए हैं लेकिन नक्शा शीट में विभाजन नहीं हुआ है। खसरा नं. 931/1 को गैरमुमकिन आबादी भूमि रकबा 10 ऐयर कायम कर दिया है तथा खसरा नं. 931/2 वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है। मौके पर उत्तर दिशा की तरफ प्रतिवादीगण ने अपनी आबादी के लिए मकान बने रखे हैं तथा दक्षिण दिशा की तरफ वाले हिस्से पर वादी काबिज है तथा वादी का ही कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वाका दिनांक 04.04.2025 को समय करीब सुबह 9 बजे की बात है कि वादी अपनी बाहमी बँटवारे की भूमि की साल–संभाल करने गये तो प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 रोड के सहारे भूमि पर जबरन कब्जा कर रहे थे तो वादी ने प्रतिवादी सं 1 लगायत 4 कहा कि आप ये क्या कर रहे हो तथा रोड के सहारे की जमीन पर जबरन कब्जा क्यों कर रहे हो तब उक्त सभी प्रतिवादीगण ने वादी से कहा कि हम हमारी मर्जी होगी, वहाँ जबरन कब्जा करेगें, तुम्हें जो करना है सो कर लेना व रोड के सहारे दुकान बनायेगें व तुम्हें रोड के सहारे एक इंच भी जमीन नहीं देगें तो वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि आप तहसील में चलकर उक्त भूमि का विधिवत् बँटवारा करवा लो लेकिन प्रतिवादीगण में विधिवत् बँटवारा कराने से स्पष्ट इन्कार कर दिया व वादी को रोड के सहारे एक भी इंच भूमि देने से मना कर दिया इसलिए दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण ने वादी को रोड के सहारे की भूमि से बेदखल कर दिया तथा वादी को अपनी भूमि को उपयोग–उपभोग नही करने दिया तो वादी बर्बाद हो जायेगें, वादीगण को गाँव छोडकर निकलना पडेगा तथा वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी तथा पक्षकारों में मुकदमाबाजी बढेगी, पक्षकार बर्बाद हो जायेगें जिसकी पूर्ति किसी भी द्रव्य में संभव नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायसंगत व न्यायोचित है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन सिटी आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है जिनके खिलाफ कोई भी रिलीफ नहीं चाही गई है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दिनांक 04.04.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को देने धमकी बाबत् रोड के सहारे भूमि पर जबरन कब्जा करने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

व विधिवत् बँटवारा नहीं करने व वादी को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने बाबत् वादकारण उत्पन्न हुआ हैं इसलिए दावा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि बलिहाज निवास स्थान पक्षकारान व बलिहाज भूमि मुताबिया माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण माननीय न्यायालय को उक्त दावे को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि दावा बाबत् भूमि विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है जिस पर 2/– रुपया न्याय शुल्क पेश है जो पर्याप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न भॉति डिकी करने के आदेश प्रदान करें कि :–

वाद पत्र के मद नं. 9 के उपमद 9(1) में दर्ज किया है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 931/1, 931/2 वाके ग्राम जमालपुर, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य नक्शा शीट में इस प्रकार बंटवारा किया जावें कि उत्तर दिशा की तरफ खसरा नं. 931/1 व दक्षिण दिशा की तरफ खसरा नं. 931/2 का नक्शा शीट में बंटवारा कर अंकन किया जावें तथा इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रतिवादी सं. 5 को फरमायें।

वाद पत्र के मद नं. 9 के उपमद 9(2) में दर्ज किया है कि खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वाद पत्र के मद नं. 9 के उपमद 9(3) में दर्ज किया है कि अन्य न्यायोचित अनुतोष बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 13.05.2025 को प्रतिवादी सं01 ता 4 की ओर से इकबालिया जबावदावा पेश किया तथा वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया।

वकील वादी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 पेश की हैं।

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादी का दावा डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2061–64 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 931 रकबा 0.21 है0, 932 रकबा 0.20 है0, 933 रकबा 0.10 है0, 934 रकबा 0.10 है0, 942 रकबा 0.12 है0, 977 रकबा 0.27 है0, 980 रकबा 0.15 है0, 980 रकबा 0.15 है0, 981 रकबा 0.15 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी चिरमोली पुत्र कल्ला मांगी पुत्र चिरमोली हि0 1/16, कैलाशी पुत्र छोटू कंचनिया बेबा छोटू हि0 1/16, सुखचन्द पुत्र मूला हि0 1/8, कजोडी पुत्र मूला गिलोदी पुत्र मूला मांगी पुत्र मुकन्दा हि0 1/4, पप्पू उर्फ राजेन्द्र लखन वीरसिंह पि0 धनसुख हि0 1/12, रामखिलाडी कमल बत्तू राधे पि0 नथुआ हि0 1/12, धनसुख पुत्र रामेता हि0 1/12, सुखनन्दन पुत्र लल्लू हि0 1/16, विजयसिंह पुत्र सुबुद्धि हि0 7/64, जगनी धर्म पत्नि सुबद्धि हि0 1/16, फाबूली बेबा राजूलाल हि0 1/64 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 931/1 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 आवादी वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी सरकारी भूमि खाता संख्या 1 दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 931/1 रकबा 0.11 है0 किस्म चाही 1 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की खातेदारी कैलाशी पुत्र छोटू जाति जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 931 रकबा 0.21 है0, 932 रकबा 0.20 है0, 933 रकबा 0.10 है0, 934 रकबा 0.10 है0, 942 रकबा 0.12 है0, 977 रकबा 0.27 है0, 980 रकबा 0.15 है0, 980 रकबा 0.15 है0, 981 रकबा 0.15 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन में वादी कैलाशी पुत्र छोटू एवं उसकी माता कंचनिया बेबा छोटू हि0 1/16 भाग के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार थे। उक्त विवादित आराजीयात में से खसरा नम्बर 931/2 रकबा 0.11 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन वादी कैलाशी के हिस्से में आयी तथा खातेदारी वादी के नाम दर्ज हो गयी है तथा खसरा नम्बर 931/1 रकबा 0.10 है0 वाके ग्राम जमालपुर तहसील हिण्डौन की किस्म गै0मु0 आवादी दर्ज कर सरकारी भूमि खाता संख्या 01 में दर्ज कर दी गई है। किन्तु नकल नक्शा सीट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 931 राजस्व सीट में ज्यों कि त्यों बना हुआ है। जिसमें खसरा नम्बर 931/1 एवं 931/2 का अंकन होना अनिवार्य है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार हिण्डौन को मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए खसरा नम्बर 931 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम जमापुर तहसील हिण्डौन के स्थान पर खसरा नम्बर 931/1 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 आबादी एवं खसरा नम्बर 931/2 रकबा 0.11 है0 का राजस्व सीट में अंकन करे। इसी अनुसार वादी का दावा डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् तकास्मा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मुताविक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए खसरा नम्बर 931 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम जमापुर तहसील हिण्डौन के स्थान पर खसरा नम्बर 931/1 रकबा 0.10 है0 किस्म गै0मु0 आबादी एवं खसरा नम्बर 931/2 रकबा 0.11 है0 का राजस्व सीट में नियमानुसार अमल दरामद करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौनसिटी (करौली)